बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचना

संख्या-11/आ०1-1010/2025- 1947 पटना, दिनांक- 11/9/25

सचिव द्वारा दिनांक-20.08.2025 को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सहरसा अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित जलापूर्त्ति योजनाओं की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मेसर्स खुशी कंस्ट्रक्शन, पटना को आवंटित कुल 118 ग्रुपों के अन्तर्गत 425 योजनाओं के विरूद्ध मात्र 169 योजनाओं में ही Trial & Run किया जा रहा है, जो कुल आवंटित योजनाओं का मात्र 40 प्रतिशत है।

02. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूर्णिया प्रक्षेत्र, पूर्णिया ने अपने पत्रांक-895, दिनांक-20.08.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया हैं कि मेसर्स खुशी कंस्ट्रक्शन को आवंटित कार्यो की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सहरसा अन्तर्गत कराये गये कार्यो की प्रगति असंतोषजनक है एवं कार्यपूर्णता हेतु अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सहरसा के द्वारा पर्यवेक्षण/निगरानी सही ढंग से नहीं किया गया। उक्त के आलोक में मुख्य अभियंता, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ द्वारा अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सहरसा को निलंबन करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित करने की अनुशंसा की गयी है।

03. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल0पी0ए0 सं0-126/2021 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम मेसर्स खुशी कंस्ट्रक्शन में दिनांक-29.07.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय पत्रांक-664, दिनांक-05.08.2024 द्वारा एजेन्सी को वर्ष 2019 में निर्धारित दर के अनुसार एकरारनामा कर पूर्व में आवंटित कार्य को छः माह में पूर्ण करने का निदेश दिया गया था, परन्तु एक वर्ष से ज्यादा व्यतीत हो जाने के बावजूद एजेन्सी द्वारा आवंटित कार्य का केवल 40 प्रतिशत ही पूरा किया गया है।

04. एजेन्सी द्वारा कार्य को ससमय नहीं पूरा किया जाना एकरारनामा में निहित प्रावधानों के विपरीत है एवं इसके कारण सरकार की सात निश्चयों में से एक निश्चय ''हर घर नल का जल'' के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका है। ''हर घर नल का जल'' योजना पूर्ण नहीं होने से क्षेत्र के आमजन को स्वच्छ पेयजल का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

05. एजेन्सी द्वारा कार्य को ससमय पूर्ण नहीं किये जाने के बावजूद श्री संतोष कुमार, अधीक्षण अभियंता, सहरसा अंचल द्वारा उक्त एजेन्सी के विरूद्ध एकरारनामा में वर्णित प्रावधान के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की गयी और न ही कार्रवाई का कोई भी प्रस्ताव मुख्य अभियंता अथवा मुख्यालय को अग्रसारित किया गया।

06. श्री कुमार का उपर्युक्त कृत्य एवं आचरण उनके कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं विभागीय निदेशों की अवहेलना का परिचायक तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1)(i), 3(1)(ii)

एवं 3(1)(iii) में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है। उक्त प्रावधानों के उल्लंघन के लिए श्री कुमार प्रथम दृष्टया दोषी है एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत श्री कुमार को निलंबित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

अतः वर्णित स्थिति में श्री संतोष कुमार, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सहरसा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

07. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय-मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर रहेगा।

08. निलंबन के दौरान श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10(1) के अन्तर्गत अनुमान्य जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।

09. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

11.09.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०1-1010/2025- 1948 पटना, दिनांक- 11/9/25

प्रतिलिपिः-वित्त(वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सहरसा/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.09.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०1-1010/2025- 1948 पटना, दिनांक- 11/9/25

प्रतिलिपिः-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०/का०प्र०)/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ/मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/श्री संतोष कुमार, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सहरसा/विभागीय आई०टी० मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.09.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०1-1010/2025- 1948 पटना, दिनांक- 11/9/25

प्रतिलिपिः-माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

11.09.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

11.9.25